राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

*****

क्रमांकः प॰ 5(8)प्राशि / 2016 जयपुर, दिनांकः 21 APR 2016

1. **आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।**
2. **निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।**
3. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।**
4. **निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।**

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.02.2016 एवं दिनांक 08.03.2016 के द्वारा आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प॰16(3)शिक्षा–2 / 2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न परिशिष्ट–1) के अनुसार हैडटीचर / संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण संलग्न परिशिष्ट–2 तथा जिलेवार वितरण संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार होगा।

2. पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016–17 में एवं तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही माह 1 अप्रैल से 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा। उदाहरणार्थ–वर्ष 2016–17 के पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण हेतु 30 सितंबर 2015 के नामांकन को आधार माना जावेगा।

3. प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्य हेतु एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किया जावेगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जावेगा :–

   a. जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों / एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था–प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था–प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा।

   b. जिन एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हैडटीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

c. 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

d. बिन्दु संख्या (a) के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुये क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात इन विद्यालयों को नामांकन के घटते हुए क्रमानुसार **संलग्न परिशिष्ट–3 पर आवंटित** विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक {बिन्दु संख्या 3(a), (b) एवं (c) पर आवंटित पदों को कम करते हुए} निम्नलिखित क्रम में वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय निर्धारित किया जावेगा –

1. सामाजिक विज्ञान
2. अंग्रेजी
3. गणित
4. विज्ञान
5. हिन्दी
6. तृतीय भाषा
7. सामान्य विषय

4. उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा –

क्र. सं.	**प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरि॰ अध्यापक के पद का विषय**	**कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में 105 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड–III) के विषय (03 अध्यापक लेवल – 2 आवंटित किये जाने है)**	**कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल–2 अध्यापक (ग्रेड–III) के अतिरिक्त पदो के विषय का क्रम (प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है)**
1.	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी, गणित / विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. सामाजिक विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. गणित / विज्ञान iv. अंग्रेजी
2.	गणित	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी
3.	अंग्रेजी	गणित / विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. अंग्रेजी ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. गणित / विज्ञान
4.	विज्ञान	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी

5.	हिन्दी	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी / तृतीय भाषा ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
6.	तृतीय भाषा	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी ii. तृतीय भाषा iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
7.	सामान्य विषय	हिन्दी / अंग्रेजी / तृतीय भाषा सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. अंग्रेजी (यदि प्रथम तीन में हिन्दी / तृतीय भाषा ली गयी है अन्यथा हिन्दी) ii. तृतीय भाषा (यदि प्रथम चार में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा ली गई है अन्यथा हिन्दी) iii. सामाजिक विज्ञान iv. हिन्दी v. गणित / विज्ञान

5. अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल 1 के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

a) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जावेगा।

b) प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 अथवा उससे अधिक होने पर संस्थाप्रधान (हैड टीचर) के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) का पद देय होगा। अन्य प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक / प्रबोधक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।

c) जिन विद्यालयों में प्रबोधक / शिक्षक (प्रबोधक शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त) / कला अध्यापक कार्यरत / नियुक्त हैं, वहाँ अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल 1 के पद के स्थान पर प्रबोधक / कला शिक्षक का पद दिया जावेगा।

d) जिन विद्यालयों में संविदाकार्मिक यथा शिक्षाकर्मी (वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ शिक्षाकर्मी सहित), पैराटीचर (महिला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि), कार्यरत है, वहां अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मियों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदाकर्मियों को **बिन्दु संख्या 10 के अनुसार** अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थान्तरित किया जावेगा।

6. वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के विधालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक (ग्रेड—III) के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक (ग्रेड—III) के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III के पद का आवंटन निम्नानुसार किया जावेगाः—

a) इन पदों का आवंटन अध्यापक (ग्रेड—III) के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।

b) 120 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III का पद आवंटित किया जावेगा।

c) 120 से अधिक नामांकन वाले जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है, उनमें शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III के स्थान पर प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) का पद दिया जावेगा।

d) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) को बिन्दु संख्या 10 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक (ग्रेड—III) की अनुपलब्धता वाले 120 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिन्दु संख्या 5 (c) के अनुसार स्थानान्तरित किया जावेगा।

e) 120 से कम नामांकन वाले उप्रावि में पूर्ण कालिक शारीरिक शिक्षक आवंटित नहीं किया जावेगा, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

7. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन

a) द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत) द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ—साथ कक्षा 6 से 8 में शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।

b) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवायेंगे। पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के अध्यापकों से उनके पास अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकतानुसार 6—8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

c) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—2 के अध्यापक कक्षा 1 से 8 को शिक्षण कार्य करवाएंगे।

d) शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।

e) सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 5/8 में शिक्षण कार्य करेंगे।

98

8. मानदण्डानुसार प्रत्येक जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक/विषयवार निर्धारण उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा। उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदण्डों के अनुसार जिले में पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही करेगी :—

1.	संबंधित उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा —	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा —	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा —	सदस्य
4.	उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के संस्थापन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी—	सदस्य
5.	जिले के समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी —	सदस्य

9. उपरोक्त समिति की अभिशंषा के आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जाएंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित्त विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी।

10. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक/कार्मिक को विषयवार/संवर्गवार अधिशेष (Surplus) किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार पदस्थापित किया जावेगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—

a) द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थपित किया जावेगा।

b) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेजी के अध्यापकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावे।

c) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के विषय अध्यापकों को उनके विषय के पदो के विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जावे।

d) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान/हिन्दी व तृतीय भाषा के विषय अध्यापक आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में इन विषयों के स्वीकृत पदों पर इन्हें पदस्थापित किए जाने बाद अधिशेष रहे इन अध्यापकों (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) को अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जावेगा।

e) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल— 2 के सामान्य विषय के अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं है ऐसे में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल— 2 के सामान्य विषय के अध्यापकों को अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के अध्यापकों के पद के विरूद्ध प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा।

f) अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के रिक्त पदो की गणना उपर्युक्त बिन्दु d एवं e के अनुरूप अध्यापकों के पदस्थापन के बाद शेष रिक्तियों के अनुसार की जावेगी।

g) अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के अध्यापक केवल अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही लगाया जावेगा।

h) संविदा पर कार्यरत कार्मिक उनके स्वीकृत पद पर ही कार्यरत होंगे।

i) अधिशेष (Surplus) अध्यापकों/शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरीयता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा:–

(क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय।

(ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में मानदण्डानुसार आवश्यकता नहीं होने पर उसी पंचायत समिति में स्थित निकटस्थ ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय।

(ग) क एवं ख के अतिरिक्त स्थिति होने पर निकटस्थ पंचायत समिति में स्थित विद्यालय।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

21/4/16

(बी.आर. चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
7. उपायुक्त, (गुणवत्ता) सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. शिक्षा उप निदेशक, समस्त संभाग ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
10. रक्षित पत्रावली।

21/4/16

(जगदीश नारायण)
अनुभागाधिकारी

(1)

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक- प 16(3)शिक्षा-2/2011 जयपुर, दिनांक : 16.10.2015

1. निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

2. निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

विषय :-वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक-उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं अन्य छह विषय यथा- गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा-निर्देशों से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2015 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दिनांक 29.09.2015 को प्रस्तुत की गई अभिशंषा के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 को विलोपित करते हुये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत प्रधानाध्यापक-उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत हैड टीचर के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ठ अध्यापक (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा) में आवंटित करने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:-

1. प्रारम्भिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक-उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा में हैड टीचर के कुल पदों को पदोन्नति हेतु विषयवार उपलब्ध पात्र आशार्थियों के अनुपात में विभाजित [illegible] जावें।
2. प्रारम्भिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक-उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा में हैड टीचर के वर्ष 2008-09 से वर्षवार कुल पदों के आवंटन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-

a) वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु विषयवार उपलब्ध पात्र आशार्थियों की संख्या में से माध्यमिक शिक्षा के उस विषय के पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या घटाई जावे।

b) बिन्दु संख्या a) से प्राप्त आशार्थियों के योग के आधार पर विषयवार पात्रता में उपलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत निम्नानुसार प्राप्त किया जावे –

$$\text{विषयवार पात्रता में उपलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत} = \frac{\text{बिन्दु संख्या a) के अनुसार विषयवार पात्र आशार्थियों की संख्या}}{\text{बिन्दु संख्या a) के अनुसार समस्त सातों विषयों हेतु पात्र आशार्थियों की संख्याओं का योग}} \times 100$$

c) उपलब्ध प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हैडटीचर के पदों को उक्त प्रतिशत के आधार पर विषयवार आवंटित किया जावे।

d) बिन्दु संख्या c) से प्राप्त पदों को विषयवार स्वीकृत पदों में जोड़कर उस विषय के कुल पदों की संख्या की गणना की जावे।

e) बिन्दु संख्या d) के अनुसार कुल पदों की गणना के पश्चात् नियमानुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों की संख्या की गणना की जावें।

f) यदि अन्तिम रिक्त पदों में से पदोन्नति अभ्यांश के पद ऋणात्मक प्राप्त होते हैं तो उस विषय की पदोन्नति शून्य की जावे।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सत्र 2008–2009 से वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ठ अध्यापक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों की रिव्यू/नियमित डीपीसी की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कमलेश आबुसरिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. रक्षित पत्रावली।

15-7-2015
संयुक्त शासन सचिव
[illegible] विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

परिशिष्ट–2

हैडटीचर/संस्था प्रधान–उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण (संभागवार) वर्तमान विद्यालय संख्या के अनुसार

क्र. सं.	संभाग का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जयपुर	2866	85	176	177	551	1165	310	402	2866
2	अजमेर	3223	17	129	162	643	1354	287	631	3223
3	उदयपुर	3419	0	0	0	798	1797	0	824	3419
4	कोटा	1867	17	56	49	475	607	209	455	1868
5	जोधपुर	2653	0	99	137	416	1479	292	230	2653
6	बीकानेर	1645	65	139	95	247	785	73	241	1645
7	चुरू	1887	82	114	171	355	798	81	287	1888
8	भरतपुर	1679	24	30	67	512	509	293	244	1679
9	पाली	1586	0	54	70	243	704	120	395	1586
10	योग	20825	290	797	928	4240	9198	1665	3709	20827

परिशिष्ट–3

हैडटीचर/संस्था प्रधान–उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

(जिलेवार)

क्र. सं.	जिलों का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर	550	21	45	31	81	256	24	92	550
2	गंगानगर	616	25	53	36	94	300	28	80	616
3	हनुमानगढ	479	19	41	28	72	229	21	69	479
4	बारां	414	4	12	11	104	133	46	104	414
5	बूंदी	390	3	12	10	97	124	43	101	390
6	झालावाड़	631	6	19	16	158	202	70	160	631
7	कोटा	433	4	14	12	115	147	51	90	433
8	भरतपुर	620	10	12	27	208	207	119	37	620
9	धोलपुर	320	5	6	13	100	99	57	40	320
10	करौली	412	5	7	15	114	113	65	93	412
11	सवाईमाधोपुर	327	4	5	12	90	90	52	74	327
12	जालौर	577	0	21	28	96	278	48	106	577
13	पाली	730	0	23	30	105	302	52	218	730
14	सिरोही	278	0	9	12	42	123	21	71	278
15	बांसवाड़ा	499	0	0	0	112	251	0	136	499
16	चित्तौड़गढ़	621	0	0	0	146	329	0	146	621
17	डूंगरपुर	484	0	0	0	117	262	0	105	484
18	प्रतापगढ	341	0	0	0	81	181	0	79	341
19	राजसमंद	580	0	0	0	135	305	0	140	580
20	उदयपुर	894	0	0	0	208	468	0	218	894
21	चूरू	565	25	35	52	108	243	25	77	565
22	झुंझुनू	594	23	32	48	100	224	23	144	594
23	सीकर	729	34	47	71	147	331	33	66	729
24	अलवर	1117	34	70	70	219	462	123	139	1117
25	दौसा	459	12	24	24	76	160	43	120	459
26	जयपुर	1290	40	82	82	256	542	145	143	1290
27	बाड़मेर	1378	0	53	73	221	787	155	89	1378
28	जैसलमेर	304	0	12	16	49	173	34	20	304
29	जोधपुर	971	0	35	48	146	519	102	121	971
30	अजमेर	739	4	32	40	158	332	70	103	739
31	भीलवाड़ा	924	5	39	49	194	408	86	143	924
32	नागौर	1040	5	40	51	201	424	90	229	1040
33	टौंक	519	2	18	23	90	190	40	156	519
34	योग	20825	290	798	928	4240	9194	1666	3709	20825